अपील :- शान्तिदेवी V/S छुग्गसिंह प्रा० पत्र नं० 28/2017

24/5/18 अभिभाषक उभयपक्ष उप०। पी० साहब दीगर राजकार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते बहस दिनांक 1/6/18 को पेश हो। RAR

1/6/18 अभिभाषक उभयपक्ष उप०। प्रा० पत्र आदेश-41 नियम-19 CPC पर उपस्थित अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीया का कथन है कि प्रार्थीया की अपील दिनांक 21/10/16 को अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं तलबी का स्टेप नहीं लेने के कारण खारिज फरमा दी। प्रार्थीया की तबीयत खराब होने के कारण प्रार्थीया वकील साहब से सम्पर्क नहीं करपाई थी और प्रार्थीया उक्त अपील को कन्टेस्ट करना चाहती है और मैरिट पर डिसाइड कराना चाहती है। अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर मूल अपील नम्बर पर ली जावे।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने उक्त प्रा० पत्र का कोई जवाब पेश नहीं किया। उनका कथन है कि उक्त अपील तलबी का स्टेप नहीं लेने एवं अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की गई है जो नम्बर पर नहीं ली जा सकती।

हमने उभयपक्ष की प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीया अपनी अपील को कन्टेस्ट करना चाहती है और मैरिट पर डिसाइड कराना चाहती है अतः न्यायहित में प्रार्थीया का प्रा० पत्र आदेश 41 नियम-19 CPC स्वीकार किया जाकर दिनांक 21/10/16 को अदम हाजरी अदम पैरवी एवं तलबी न कराने के डिफाल्ट में खारिज अपील बमुकदमा शान्तिदेवी बनाम छुग्गसिंह मु० नं० 67/2015 को नम्बर पर लिया जाता है। उक्त प्रा० पत्र फैसला शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

[हरफूल सिंह यादव]

अति० जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner